

कार्यालय : धीरेन्द्र सिंह मण्डलोई, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बैतूल (म.प्र.)

क्रमांक- /सी.जे.एम./2023

बैतूल, दिनांक : 18.12.2023

:: विविध आदेश ::

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला बैतूल (म0प्र0) द्वारा जारी कार्यालयीन विविध आदेश क्रमांक 47/दो-12-11/2014, बैतूल दिनांक 13-02-2022 के परिपालन में माह जनवरी, फरवरी एवं मार्च-2024 के सार्वजनिक अवकाश के दिनों में रिमाण्ड ड्यूटी एवं अत्यावश्यक कार्य सम्पन्न किये जाने हेतु निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को उनके नाम के सम्मुख दर्शायी तिथियों के लिये ड्यूटी संपादित करने हेतु निर्देशित किया जाता है :-

जिला-मुख्यालय बैतूल				
क्र0	नाम अधिकारी एवं पद	अवकाश की तिथियाँ		
		माह जनवरी 2024	माह फरवरी 2024	माह मार्च 2024
01	श्री कलमसिंह मेडा, J.M.F.C., बैतूल	-	04	03, 29
02	श्री लक्ष्मण डोडवे, J.M.F.C., बैतूल	-	11	08, 31
03	श्री कमलेश मीणा, J.M.F.C., बैतूल	01	14, 25	-
04	श्री विजय सिंह चौहान, J.M.F.C., बैतूल	07	-	16, 17
05	श्रीमती पूजा सिंह मौर्य, J.M.F.C., बैतूल	14, 15	-	-
06	श्रीमती राधा उईके, J.M.F.C., बैतूल	20, 21	-	10
07	श्रीमती अन्ना ग्लोरी टोप्पो, J.M.F.C., बैतूल	26	17, 18	26
08	श्री अरुण सिंह अलावा, J.M.F.C., बैतूल	28	-	24, 25
तहसील-मुख्यालय आमला				
क्र0	नाम अधिकारी एवं पद	अवकाश की तिथियाँ		
		माह जनवरी 2024	माह फरवरी 2024	माह मार्च 2024
01	श्री राकेश सनोडिया, J.M.F.C., आमला	01, 07, 20, 21, 28	04, 11, 14	08, 10, 24, 25, 26

02	सुश्री रीना पिपल्या, J.M.F.C., आमला	14, 15, 26	17, 18, 25	03, 16, 17, 29, 31
----	-------------------------------------	------------	------------	--------------------

तहसील-मुख्यालय मुलताई

क्र०	नाम अधिकारी एवं पद	अवकाश की तिथियाँ		
		माह जनवरी 2024	माह फरवरी 2024	माह मार्च 2024
01	श्री दिनेश मीणा, J.M.F.C., मुलताई	01, 07	17, 18	03, 31
02	सुश्री नीलम खटाना J.M.F.C., मुलताई	14, 15	04, 25	16, 17
03	श्री कृष्णपाल सिंह सिसोदिया, J.M.F.C., मुलताई	20, 21	11	08, 10, 24
04	श्रीमती श्वेता गौतम, J.M.F.C., मुलताई	26, 28	14	25, 26, 29

तहसील-मुख्यालय भैंसदेही

क्र०	नाम अधिकारी एवं पद	अवकाश की तिथियाँ		
		माह जनवरी 2024	माह फरवरी 2024	माह मार्च 2024
01	सुश्री उषा उईके, J.M.F.C., भैंसदेही	01, 07, 20, 21, 28	04, 11, 14	08, 10, 24, 25, 26
02	सुश्री निकिता चौहान, J.M.F.C., भैंसदेही	14, 15, 26	17, 18, 25	03, 16, 17, 29, 31

- न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल/मुलताई/आमला/भैंसदेही उपरोक्त दर्शित तिथियों में दिन के सायं 03 बजे से 05 बजे तक रिमाण्ड एवं अत्यावश्यक कार्य अपने न्यायालय में संपादित करेंगे।
- उपरोक्त माह जनवरी, फरवरी एवं मार्च-2024 में कोई शासकीय अवकाश घोषित होने पर निम्नांकित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी की जायेगी :-

मुख्यालय बैतूल:-

- माह जनवरी 2024 :- श्री विजय सिंह चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैतूल।
- माह फरवरी 2024 :- श्री कमलेश मीणा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैतूल।
- माह मार्च 2024 :- श्री लक्ष्मण डोडवे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैतूल।

तहसील—मुलताई:—

- माह जनवरी 2024 :- श्री नीलम खटाना, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुलताई।
माह फरवरी 2024 :- श्रीमती श्वेता गौतम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुलताई।
माह मार्च 2024 :- श्री दिनेश मीणा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुलताई।


तहसील आमला:—

- माह जनवरी 2024 :- श्री राकेश सनोडिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला।
माह फरवरी 2024 :- सुश्री रीना पिपल्या, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला।
माह मार्च 2024 :- श्री राकेश सनोडिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला।

तहसील भैंसदेही:—

- माह जनवरी 2024 :- सुश्री उषा उईके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भैंसदेही।
माह फरवरी 2024 :- सुश्री निकिता चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भैंसदेही।
माह मार्च 2024 :- सुश्री उषा उईके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भैंसदेही।

- उक्त रिमाण्ड ड्यूटी अनुसार संबंधित न्यायालय में पदस्थ कर्मचारीगण अपने-अपने कर्तव्य पर उपस्थित रहेंगे।
- रिमाण्ड ड्यूटी में परिवर्तन अपरिहार्य परिस्थितियों में ही अनुज्ञात किया जा सकेगा।
- उपरोक्त रिमाण्ड ड्यूटी अनुसार संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी अपरिहार्य कारण से मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति चाहते हैं तो, ऐसे मजिस्ट्रेट उनके स्थान पर रिमाण्ड ड्यूटी करने के लिये सहमत होने वाले मजिस्ट्रेट की सहमति, मय हस्ताक्षर के, आवेदन प्रस्तुत करें।
- यदि कोई सार्वजनिक अवकाश निरस्त होकर उसके आगामी कार्यदिवस या पूर्व के कार्य दिवस में परिवर्तित होता है तो संबंधित अवकाश को नियत की गयी रिमाण्ड करने वाले मजिस्ट्रेट के द्वारा ही रिमाण्ड ड्यूटी उस अनुसार की जावेगी।
- यदि मुख्यालय पर किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट का अपरिहार्य कारण से एवं संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट की सहमति के बगैर अवकाश या अन्य कारण से मुख्यालय में उपस्थित नहीं है तो उनके स्थान पर कार्य विभाजक पत्रक अनुसार प्रभारी मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी संपादित की जायेगी।



18/12/23
धीरेन्द्र सिंह मण्डलोई
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल

पृष्ठांक.- ()सी.जे.एम/2023

बैतूल, दिनांक :18.12.2023

प्रतिलिपि :-

1. प्रस्तुतकार, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, बैतूल
2. श्री कमल सिंह मेडा/श्री लक्ष्मण डोडवे/श्री कमलेश मीणा/श्री दिनेश मीणा/श्री राकेश सनोडिया/श्रीमती पूजा सिंह मौर्य/सुश्री उषा उईके/श्रीमती राधा उईके/श्रीमती अन्ना ग्लोरी टोप्पो/श्री अरुण सिंह अलावा/सुश्री नीलम खटाना/श्री कृष्णपाल सिंह सिसोदिया/श्रीमती श्वेता गौतम/सुश्री निकिता चौहान/सुश्री रीना पिपल्या, न्या.म.प्र.श्रे. बैतूल/मुलताई/आमला/भैंसदेही की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला बैतूल की ओर भेजकर लेख है कि, संबंधित थाना प्रभारियों को कृपया सूचित कराने का कष्ट करें।
5. जिला अभियोजन अधिकारी, बैतूल
6. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, बैतूल
7. प्रभारी अधिकारी महोदय, कम्प्यूटर अनुभाग, जिला न्यायालय बैतूल म0प्र0
8. प्रस्तुतकार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल,
9. कार्यालय अनुभाग, जिला न्यायालय बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
10. सिस्टम आफिसर/सहायक सिस्टम आफिसर/सहायक ग्रेड-3, कम्प्यूटर अनुभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. जिला नाजीर, जिला न्यायालय बैतूल की ओर नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु प्रेषित।


18112123
धीरेन्द्र सिंह मण्डलोई
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बैतूल